

## आईटी नियम, 2021 में संशोधन

### प्रलिमिस के लिये:

सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21।

### मेन्स के लिये:

सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नियम) और डिजिटल मीडिया आचार संहति** नियम 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया।

- इनका उद्देश्य देश के नागरिकों के लिये इंटरनेट को सुलभ, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह बनाना है।

### आईटी नियम, 2021 में प्रमुख संशोधन:

- सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिये नए दशा-नियम:**
  - वर्तमान में मध्यस्थों को केवल उपयोगकर्ताओं के लिये हानिकारक/गैरकानूनी सामग्री की कुछ शरणियों को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। ये संशोधन उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के लिये उचित प्रयास करने हेतु मध्यस्थों पर एक कानूनी दायतिव आरोपित करते हैं। नया प्रवधान यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थ का दायतिव केवल एक औपचारिकता नहीं है।
    - इस संशोधन में मध्यस्थों को भारतीय संवधान के **अनुच्छेद 14, 19 और 21** के तहत उपयोगकर्ताओं को मलि अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है, इसलिये इसमें उचित तत्परता, गोपनीयता और पारदर्शता की अपेक्षा की गई है।
    - मध्यस्थ के नियमों और वनियमों के प्रभावी संचार हेतु यह महत्वपूर्ण है कि संचार क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में भी किया जाए।
- नियम 3 में संशोधन:**
  - नियम 3 (नियम 3(1)(बी)(ii)) के उपखंड 1 के आधारों को 'मानहानिकारक' और 'अपमानजनक' शब्दों को हटाकर युक्तसिंगत बनाया गया है।
    - क्या कोई सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक है, यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
    - नियम 3 (नियम 3(1)(बी)) के उपखंड 1 में कुछ सामग्री शरणियों को, विशेष रूप से गलत सूचना और ऐसी अन्य सामग्री से निपटने के लिये फरि से तैयार किया गया है जो वभिन्न धारमकि/जातसमूहों के बीच हसिया को उकसा सकती है।
- शक्तियात अपील समतिका गठन:**
  - उपयोगकर्ता शक्तियों पर मध्यस्थों द्वारा लिये गए नियमों या निषिक्रिया के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को अपील करने की अनुमतिदेने हेतु 'शक्तियात अपील समतियों' का गठन किया जाएगा।
    - हालाँकि उपयोगकर्ताओं को हमेशा किसी भी समाधान के लिये न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार होगा।

### प्रमुख आईटी नियम, 2021:

- यह सोशल मीडिया का सक्रिय होना अनिवार्य करता है:**
  - प्रमुख तौर पर IT नियम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में अधिक सक्रिय रहने के लिये बाध्य करता है।
- शक्तियात अधिकारी की व्यवस्था:**
  - उन्हें एक शक्तियात नियायिक तंत्र स्थापित करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गैर-कानूनी एवं अनुपयुक्त सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है।

- प्लेटफॉर्म के नविरण तंत्र का शक्तियां अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शक्तियों को प्राप्त करने और हल करने के लिये जमिमेदार है।
- उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरमि सुनिश्चिति करना:**
  - बचौलियि ऐसी सामग्री की शक्तियों की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर इसे हटाएंगे या अक्षम करेंगे जो व्यक्तियों की निजता को उजागर करती हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूरण या आंशकि नगनता या धौन करपा में दखिली हैं या प्रतिरूप की प्रकृतियों हैं, जिसमें मॉफ़्ड इमेज आदि शामिल हैं।
  - गोपनीयता नीतियों के बारे में उपयोगकर्ताओं को शक्तियां करना:
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चिति करना चाहिये कि उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट की गई सामग्री और ऐसी कसी भी चीज़ को प्रसारित न करने के बारे में शक्तियां कथित जाए, जसी मानहानिकारक, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तजिनक, पीडोफलिकि, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, या संपर्भुता को खतरे में डालने वाला या कसी भी चीज़ का उल्लंघन माना जा सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपोर्ट करना कानूनी रूप से अनविरय है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नकाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायि:

- (a) केवल 1  
 (b) केवल 1 और 2  
 (c) केवल 3  
 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 70 B के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा घटना प्रतिक्रिया के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी का गठन कथित गया है।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 B के तहत वर्ष 2014 में CERT-In के लिये नयिम स्थापित और अधिसूचित कथित। नयिम 12 (1) (A) के अनुसार, घटना होने के उचित समय के भीतर CERT-In को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लिये सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थी, डेटा केंद्रों तथा कॉर्पोरेट नकायों हेतु रपोर्ट करना अनविरय है।

अतः वकिलप (d) सही है।

**स्रोत: पी.आई.बी.**